राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड की दिनांक 11.08.2016 को प्रातः 10:00 बजे विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित 14वीं बैठक का कार्यवृत्त

1. प्रतिभागियों की सूची अनुबंध 'क' पर संलग्न है।
2. इस अवसर पर, केंद्रीय वित्त मंत्री ने एमएसएमई डाटा बैंक और वित्त सुविधा केंद्र लांच किया।
3. राष्ट्रीय बोर्ड की बैठक की कार्यवाही शुरू करते हुए सचिव एमएसएमई ने चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने बैठक के लिए समय देने और उपस्थित होने के लिए माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद दिया और साथ ही राष्ट्रीय बोर्ड के सभी अन्य सदस्यों का भी स्वागत किया। उन्होंने राज्यों के मंत्रियों को अपने-अपने विचार प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।
4. श्री जोगेंद्र बेहरा, माननीय प्रभारी मंत्री (एमएसएमई), ओड़ीसा सरकार, ने बोर्ड की 14वीं बैठक के आयोजन के लिए एमएसएमई मंत्रालय को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ओड़ीसा सरकार ने राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा स्थानीय एमएसएमई से खरीद को सुगम बनाने के लिए उद्योग आधार की तर्ज पर दर अनुबंध, ऑनलाइन पंजीकरण को लागू किया है। उन्होंने ओड़ीसा सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली एक नई स्टार्ट अप नीति की चर्चा की। उन्होंने जानकारी दी कि निवेशकों/उद्यमियों के लाभ के लिए एक निश्चित समय सीमा के भीतर सभी सांविधिक क्लीयरेंस लेने के लिए ई-बिज ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है। उन्होंने उल्लेख किया कि समय पर और पर्याप्त ऋण की उपलब्धता अब भी एमएसएमई के सामने एक बड़ी समस्या है। उन्होंने भारत सरकार से आग्रह किया कि वह एमएसएमई को पर्याप्त और समय पर ऋण देने के लिए बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों में सही भावना लाए। मंत्री महोदय ने उद्यमिता विकास संस्थान, ओड़ीसा को एक राष्ट्रीय संस्थान में बदलने का अनुरोध किया, जिसके लिए एमएसएमई मंत्रालय के सामने प्रस्ताव रखा गया है और इसके साथ ही उन्होंने वर्तमान वित्तीय वर्ष में एमएसई-सीडीपी के तहत 10 सीएफसी का समय पर अनुमोदन देने का अनुरोध किया।
5. श्री सुभाष राजाराम देसाई, माननीय मंत्री, एमएसएमई प्रभारी, महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि एमएसएमई डाटा बैंक तथा वित्तीय सुविधा केंद्र प्रशंसनीय पहल है। हालांकि उन्होंने इच्छा प्रकट की कि पीएमईजीपी योजना के आकार को विस्तृत बनाया जाए। एमएसई-सीडीपी के संबंध में उन्होंने मत प्रकट किया कि उनके राज्य में यह योजना लागू कर दी गई है, मगर उसकी गति बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने बैंकों को आवश्यक निर्देश जारी करते हुए एमएसएमई के पुनरुज्जीवन की आवश्यकता भी महसूस की।
6. श्री संजय पाठक, उद्योग मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार ने अपने भाषण में यूएएम के जरिये ऑनलाइन पंजीकरण शुरू करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की। माननीय मंत्री ने सूचित किया कि वर्ष 2015-16 में यूएएम के माध्यम से 48000 पंजीकरण किए गए जो यूएएम के कार्यान्वयन से पहले हुए पंजीकरण से ढाई गुना है। इसके अलावा उन्होंने सूचित किया कि विभाग प्रभावी सुविधाओं के माध्यम से इस वर्ष लगभग 1.00 लाख इकाइयों का पंजीकरण करने का लक्ष्य है। उनहोंने राज्य में टूलरूम की स्थापना का स्वागत किया। उनकी राय थी कि एमएसएमई के लिए कुशल श्रम

शक्ति की आवश्यकता है और इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार को निधियां उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि एमएसई-सीडीपी के तहत प्रदर्शनी केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता है और निदानात्मक अध्ययनों एवं सॉफ्ट इंटरवेंशन के लिए निधियां तत्काल जारी की जानी चाहिए।

7. श्री गोविन्ददास कोन्थौजम, माननीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री, मणिपुर सरकार ने राज्य में एमएसई-सीडीपी कार्यक्रम के संदर्भ में सूचित किया कि 6 आईडी केन्द्रों को अनुमोदित किया जा चुका है। उन्होंने उल्लेख किया कि पूर्वोत्तर औद्योगिक एवं निवेश संवर्धन नीति (एनईआईआईपी), 2007, 01 दिसम्बर, 2014 से आस्थगित है और उन्होंने अनुरोध किया कि उसे फिर से शुरू किया जाए। उन्होंने अनुरोध किया कि उनके राज्य में एफएफडीसी केन्द्र शुरू किए जाने की आवश्यकता है। एमएसई-सीडीपी के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए समय पर निधियां जारी करने की आवश्यकता है। उन्होंने इस ओर ध्यान दिलाया कि मणिपुर में बैठे केवीआईसी के अधिकारियों का रवैया सहयोगात्मक नहीं है। निधियों के जारी होने में विलम्ब से परियोजना में विलम्ब होता है। उन्होंने एमएसएमई मंत्रालय द्वारा अनुमोदित 9 इंक्यूबेशन केन्द्रों का भी उल्लेख किया।

8. माननीय मंत्रियों के संबोधन के पश्चात कार्यसूची पर चर्चा शुरू की गई और बोर्ड को विभिन्न योजनाओं में हुई प्रगति से अवगत कराया गया। विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में मंत्रालय द्वारा की गई पहलों की सदस्यों ने सराहना की। श्री मिलिंद कांबले, अध्यक्ष दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (डीआईसीसीआई) ने राष्ट्रीय अनु.जा./अनु.ज.जाति हब के लिए बनाई गई गाईडलाइन्स की सराहना की।

9. विचार-विमर्श के दौरान सदस्यों द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियां की गई:-

i. सुश्री ज्योति बालाकृष्णन, अध्यक्ष, एसोशिएशन ऑफ वुमन एंटरप्रैन्योर्स ऑफ कर्नाटक (एडब्ल्यूएकेई) ने फ्लैटेड फैक्टरी में महिला उद्यमी के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण का सुझाव दिया। उन्होंने बैंकों द्वारा ऋण में महिला उद्यमियों के लिए 4 प्रतिशत ब्याज का सुझाव भी दिया।

ii. श्री नलिन कोहली, अध्यक्ष, एसोशिएशन ऑफ स्माल एंड मिडियम नॉलेज इंडस्ट्रीज (एएसएमकेआई) ने सूचित किया कि हालांकि सीजीटीएमएसई योजना में 1.00 करोड़ रुपए के ऋण के लिए गारंटी कवर प्रदान किया जाता है, किन्तु कुछ बैंक फिर भी कॉलेटरल सिक्योरिटी पर जोर देते हैं। ऐसे मामलों को भारतीय रिजर्व बैंक के संज्ञान में लाने की आवश्यकता है।

iii. श्री अनिल गुप्ता, प्रीमियर रोलिंग एंड फॉर्जिंग वर्क्स (प्रा.) लिमिटेड, उत्तर प्रदेश की राय थी कि एमएसएमई का एनपीए अन्य उद्योगों की तुलना में काफी कम होने के बावजूद भी एमएसएमई के एनपीए के संबंध में दुष्प्रचार किया जा रहा है।

iv. श्री विश्वनाथ, अध्यक्ष, एसएमई चैप्टर पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने आरबीआई से बैंकों को एमएसएमई इकाईयों के भुगतान में उनके एनपीए/भुगतान न करने पर उनके फोटोग्राफ प्रकाशित न करने की सलाह देने का अनुरोध किया।

v. श्री अशोक सैगल, अध्यक्ष, एसएमई चैप्टर, भारतीय उद्योग परिसंघ ने यह सूचित किया कि एमएसएमई पर्यावरण प्रदूषण अनापत्ति प्राप्त करने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। जेड योजना के तहत यदि कोई इकाई सिल्वर स्टैंडर्ड प्राप्त कर रही है तो ऐसी इकाई को स्वतः ही पर्यावरण प्रदूषण अनापत्ति दे दी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि जेड प्रमाणपत्र को वैश्विक रूप से स्वीकार्य बनाने के लिए एमएसएमई मंत्रालय को पहल करनी चाहिए।

vi. श्री ए.पद्मनाभा, अध्यक्ष, कर्नाटक लघु उद्योग संघ (केएएसएसआईए) ने यह सुझाव दिया कि कर्नाटक में एमएसएमई-विकास संस्थान, बंगलुरू कार्यालय को एमएसएमई मंत्रालय की नीतियों और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए सशक्त और प्रशिक्षित करना चाहिए।

vii. श्री आर.एस.जोशी, अध्यक्ष, पूर्वोत्तर क्षेत्र उद्योग एवं वाणिज्य संघ (एफआईएनईआर) ने एमएसएमई मंत्रालय से गुवाहाटी में एक बैंकर्स कान्क्लेव आयोजित करने का अनुरोध किया। उन्होंने सूचित किया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्रेडिट डिपॉजिट का अनुपात बहुत ही कम है। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी विद्यालयों और महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में उद्यमिता को शामिल किया जाना चाहिए।

viii. श्री ओ.पी.मित्तल, राष्ट्रीय महासचिव, लघु उद्योग भारती ने सार्वजनिक खरीद नीति पर ओएनजीसी के साथ समस्या का संदर्भ दिया। उनके अनुसार ओएनजीसी को यह स्पष्ट नहीं है कि 20 प्रतिशत खरीद का प्रावधान न्यूनतम है अथवा 20 प्रतिशत तक है। इस संबंध में अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (एमएसएमई) ने यह स्पष्ट किया कि प्रावधानों के अनुसार यह 20 प्रतिशत से कम नहीं है और इसे ओएनजीसी को स्पष्ट किया जा सकता है।

ix. अध्यक्ष, सीओडीआईएसएसआईए, कोयम्बत्तूर ने एमएसएमई को विपणन समर्थन प्रदान करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय द्वारा एनएसआईसी के माध्यम से देशभर में वेयरहाऊस स्थापति करने की व्यवस्था करने कि इच्छा प्रकट की, क्योंकि ऑनलाईन मार्केटिंग बहुत तेजी से बढ़ रही है और इससे बड़े एमएसएमई को अपने उत्पाद समय से डिलीवर करने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने यह भी उल्लेख

किया कि कई एमएसएमई विलंबित भुगतान के कारण रूग्णता की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने विलंबित भुगतान के लिए समाधान सुझाए। एक बार पीएसयू से गुणवत्ता निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर एमएसएमई बिल प्रस्तुत कर सकते हैं और नोडल बैंक भुगतान जारी कर सकते हैं। पीएसयू को ब्याज का भुगतान भी करना होगा। 80:20 (80 प्रतिशत सरकार और 20 प्रतिशत एमएसएमई) के अनुपात से प्रतिभूति के रूप में कॉरपस फंड सृजित किया जाए। इस प्रतिभूति पर बैंक बाधा मुक्त निशुल्क ऋण प्रदान करेंगे।

x. संबंधित अधिकारियों द्वारा इन सभी सुझावों के उत्तर दिए गए और यह इच्छा प्रकट की गई कि मंत्रालय की भावी नीतियां बनाते समय जहां तक संभव हो, इन पर विचार किया जाएगा।

10. माननीय राज्य मंत्री (एमएसएमई) श्री गिरीराज सिंह ने यह उल्लेख किया कि इन कार्यों को न केवल शहरी क्षेत्रों में किए जाने की आवश्यकता है, बल्कि अधिक केन्द्रीत ढंग से ग्रामोद्योगों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ग्रामोद्योग के क्षेत्रों में ही रोजगार उत्पन्न किया जा सकता है।

11. माननीय राज्य मंत्री (एमएसएमई) श्री हरिभाई पारथीभाई चौधरी, ने अपने संभाषण में एनबीएमएसएमई के सदस्यों से न केवल एमएसएमई के समक्ष आने वाली समस्याओं के संबंध में सूचित करने अपितु उपचारात्मक उपाय भी सुझाने का अनुरोध किया जोकि व्यावहारिक एवं संभव हो। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि हम सभी तीन मंत्री उनकी समस्याओं पर ध्यान देंगे।

12. माननीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री, श्री कलराज मिश्र ने कार्यवाही समाप्त करते हुए सदस्यों को बैठक में उनके उपयोगी योगदान देने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि वे सदैव राष्ट्रीय बोर्ड की और अधिक बैठकें आयोजित किए जाने के पक्ष में हैं क्योंकि एमएसएमई मंत्रालय के ध्यान में हितधारियों के विचार और उनका हित सबसे आगे रहते हैं।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

****

राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड की दिनांक 11.08.2016 को हाल संख्या-4, विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित 14वीं बैठक में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की सूची:-

1. श्री कलराज मिश्र, माननीय केंद्रीय मंत्री (एमएसएमई)/ एनबीएमएसएमई के अध्यक्ष
2. श्री गिरिराज सिंह, माननीय राज्य मंत्री (एमएसएमई)/एनबीएमएसएमई के उपाध्यक्ष
3. श्री हरिभाई पारथीभाई चौधरी, माननीय राज्य मंत्री (एमएसएमई), भारत सरकार
4. श्री गोविंददास कोन्थौजम, माननीय प्रभारी मंत्री, एमएसएमई, मणिपुर
5. श्री संजय पाठक, माननीय प्रभारी मंत्री (एमएसएमई), मध्य प्रदेश
6. श्री सुभाष राजाराम देसाई, माननीय प्रभारी मंत्री (एमएसएमई), महाराष्ट्र
7. श्री जोगेन्द्र बेहरा, माननीय प्रभारी मंत्री (एमएसएमई), ओड़ीसा
8. श्री नितिन अग्रवाल, प्रभारी मंत्री (एमएसएमई), उत्तर प्रदेश की ओर से श्री अमित कुमार घोष, आयुक्त एवं उद्योग निदेशक, उप्र।
9. श्री के.के. जालान, भारत सरकार के सचिव, एमएसएमई मंत्रालय।
10. श्री सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी, अपर सचिव और विकास आयुक्त और एनबीएमएसएमई के सदस्य सचिव।
11. प्रशासक, अंडमान और निकोबर द्वीपसमूह (संघ शासित क्षेत्र) की ओर से श्री कुलदीप सिंह ठाकुर, उप रेसिडेंस कमिश्नर,
12. श्री ज़कारिया खान युसूफजई (डीआईपीपी) , वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली।
13. डॉ. सरवानावेल, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड।
14. श्री रमेश धर्माजी, मुख्य महाप्रबंधक, सिडबी।
15. श्री जोस जे. कट्टूर, मुख्य महाप्रबंधक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
16. डॉ अविनाश के. दलाल (नल्लावाला) राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय एमएसएमई संघ।
17. श्री नलिन कोहली, अध्यक्ष, एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम नॉलेज इंडस्ट्री (एएसएमकेआई)।
18. श्री ओ.पी. मित्तल, राष्ट्रीय महासचिव, लघु उद्योग भारती (एलयूबी)।
19. श्री सुदर्शन सरीन, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय लघु एवं सूक्ष्म उद्योग संघ (एआईसीएसएमआईए)।
20. सुश्री सुषमा मोरथानिया, महानिदेशक, इंडिया एसएमई फोरम, मुंबई।
21. श्री आर.एस. जोशी, अध्यक्ष, पूर्वोत्तर क्षेत्र उद्योग एवं वाणिज्य परिसंघ।
22. श्री सी. मुथुसामी, अध्यक्ष, तमिलनाडु लघु व अति लघु उद्योग संघ (टीएएनएसटीआईए)
23. श्री मांगुइरिश पाई रायकेर, अध्यक्ष, एएसएसओसीएचएएम
24. सुश्री रुचि प्रिया सिंह, सीनियर एक्ज़ीक्यूटिव, इंडियन चेम्बर ऑफ कामर्स(आईसीसी)
25. श्री वी. सुंदरम, अध्यक्ष, कोयंबटुर जिला लघु उद्योग संघ (सीओडीआईएसएसआईए)

26. श्री अशोक सैगल, अध्यक्ष, भारतीय उद्योग परिसंघ, एसएमई चैप्टर सीआईआई

27. श्री विश्व नाथ, अध्यक्ष, पीएचडी चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एसएमई चैप्टर- पीएचडीसीसीआई

28. श्री ए. पद्मनाभा, अध्यक्ष, कर्नाटक लघु उद्योग संघ (केएएसएसआईए)

29. सुश्री ज्योति बालकृष्ण, अध्यक्ष, कर्नाटक महिला उद्यमी (एडबल्यूएकेई)

30. सुश्री शशि सिंह, अध्यक्ष, भारतीय महिला उद्यमी कंसोर्टियम (सीडब्ल्यूईआई)

31. श्रीमती सुषमा पॉल बर्लिया, को-प्रोमोटर और अध्यक्ष, एपीजे सत्या और स्वर्ण ग्रुप

32. श्री कृष्ण खन्ना, अध्यक्ष, आई-वॉच, मुंबई

विशेष आमंत्रित:

33. श्री दिनेश राय, नोएडा

34. श्री अनिल गुप्ता, प्रीमियर रोलिंग एंड फोरजिंग वर्क्स(पी) लिमिटेड

35. सुश्री मंजुला मिश्रा, अध्यक्ष, महिला उद्यमी वर्किंग ग्रुप, आईआईए

36. श्री सुनील रामा

37. श्रीमती स्वाति शर्मा

38. श्री अतुल मुखी

39. डॉ अजय नारंग

40. सीए मुकेश मोहन गुप्ता

41. श्री ज्योति प्रकाश जायसवाल

42. श्री राजा एम. शणमुगम

43. श्री सुभाष ओसवाल जैन

44. श्री रवीद्र नाथ (सीएमडी), एनएसआईसी

45. श्री मंगत राम शर्मा, अध्यक्ष, सीओएसआईसीआई की ओर से श्री पी.एल. अबरोल, कार्यकारी निदेशक एमएसएमई मंत्रालय और विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय के अधिकारी भी इस बैठक में उपस्थित थे।

*****